

## डिक्री वमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 93/2025

1. सौरभ गोदारा पुत्र श्री विष्णु दत्त गोदारा जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. अनुराग पुत्र श्री संदीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. अनमोल पुत्र श्री इन्द्रमोहन जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

### बनाम

1. राजाराम पुत्र श्री चुन्नीराम जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. विष्णु दत्त पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. संदीप कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. इन्द्रमोहन पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. झरला पुत्री राजाराम पत्नी श्री देवीलाल जाति बिश्नोई निवासी लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. अंजली पुत्री संदीप कुमार जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. आरजू पुत्री इन्द्रमोहन जाति बिश्नोई निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सादूलशहर जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

- प्रतिवादीगण

### अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिडल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री भीमसैन पारीक वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री अनिल भोबिया वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुयम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि - तहसील संगरिया के चक 10 पी.टी.पी. खाता संख्या 95/88 जमाबंदी संवत 2070-73 में से-

पत्थर नंबर	मुख्या नंबर	किला नंबर
123/144	32	14/0.253 है.नहरी, 15/1/0.228 है.नहरी, 15/2/0.025 है.खाला, 16/1/0.228 है.नहरी, 16/2/0.025 है.खाला, 17,24/0.253 है.प्र.नहरी, 25/1/0.228 है.नहरी, 25/2/0.025 है.खाला, कुल 1.518 है. नहरी मय गेर मुमकिन कृषि भूमि।

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

लगातार - 2

वादी संख्या 2 अनुराग पुत्र श्री संदीप कुमार के कब्जा काशत की कृषि भूमि-		
पत्थर नंबर	मुरब्बा नंबर	किला नंबर
123/144	32	1,2,3,8,9/0.253 है.प्र.नहरी,
123/143	24	22/0.253 है.नहरी। कुल 1.518 है. कृषि भूमि।

वादी संख्या 3 अनमोल पुत्र श्री इन्द्रमोहन के कब्जा काशत की कृषि भूमि-		
पत्थर नंबर	मुरब्बा नंबर	किला नंबर
124/144	31	22,23/0.253 है.प्र.नहरी।
124/145	36	1,2,3,4/0.253 है.प.नहरी, कुल 1.518 है.नहरी।

प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम पुत्र श्री चुन्नीराम के कब्जा काशत की कृषि भूमि-		
पत्थर नंबर	मुरब्बा नंबर	किला नंबर
123/143	24	24/0.253 है.बारानी1,
124/144	31	9,10,17/0.253 है.प्र.बारानी1, 13,18/0.253 है.प्र.नहरी,
123/144	32	4/0.253 है.बारानी1, 5/1/0.228 है.बारानी1, 5/2/0.025 है.खाला, 6/1/0.228 है.बारानी1, 6/2/0.025 है.खाला, कुल 2.277 है. कृषि भूमि।

प्रतिवादी संख्या 2 विष्णु दत्त पुत्र श्री राजाराम के कब्जा काशत की कृषि भूमि-		
पत्थर नंबर	मुरब्बा नंबर	किला नंबर
124/144	31	11,12/0.253 है.प्र.नहरी,
123/144	32	7/0.253 है. बारानी1, कुल 0.759 है. कृषि भूमि।

प्रतिवादी संख्या 3 संदीप कुमार पुत्र श्री राजाराम के कब्जा काशत की कृषि भूमि-		
पत्थर नंबर	मुरब्बा नंबर	किला नंबर
123/143	24	18,19,23/0.253 है.प्र.नहरी, कुल 0.759 है. नहरी।

प्रतिवादी संख्या 4 इन्द्रमोहन पुत्र श्री राजाराम के कब्जा काशत की कृषि भूमि-		
पत्थर नंबर	मुरब्बा नंबर	किला नंबर
124/144	31	19,20,21/0.253 है.प्र.नहरी, कुल 0.759 है. नहरी।

के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत..........निल..........  
खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.05.2025.....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
राजस्थान